# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकःप.8(ग)(211)नियम / डीएलबी / 2019 / 8365 दिनांकः 4/8/25

### अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धरा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा पालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रो में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त except agricultural land) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर नगरीय विकास कर उद्गृहित किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 जारी की गयी थी, उपर्युक्त अधिसूचना में राज्य सरकार एतदद्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार संशोधन करती है :–

1. उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के बिंदु संख्या 7 के नीचे नवीन बिंदु संख्या 7(क) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

"राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के बिन्दु संख्या 7 अनुसार ऐसी पर्यटन इकाइयां जिन्हे राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एनटाइटलमेंट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, उनके सम्बन्ध में नगरीय विकास कर औद्योगिक दरों पर वसूल किया जायेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से

(जुइफर प्रतीक चंद्रशेखर)
निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग

५०

क्रमांक:प.8(ग)(211)नियम / डीएलबी / 2019 / 8366—9088 दिनांकः 5/8/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग ।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
06. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
08. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राज० ।
09. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर ।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवा करवाने हेतु।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज०जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी